न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1898-दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.9.2000 पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, गोहद जिला भिण्ड - प्रकरण कमांक 69/1997-98 अपील

सेवासिंह पुत्र हरवंश सिंह
ग्राम चक शंकरपुर तहसील गोहद ---आवेदक
विरूद्ध
1- जोगासिंह 2- जसबन्त सिंह
पुत्रगण सुरजनसिंह ग्राम चक शंकरपुर
तहसील गोहद जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी.के.तिवारी)

आ दे श
(आज दिनांक 5-11-2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 69/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.9.2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, गोहद जिला भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 69/1997-98 प्रस्तुत की, जिस पर आवेदक सेवासिंह ने यह आपत्ति की कि अपील 3 वर्ष की म्याद के वाहर प्रस्तुत हुई है तथा विलम्ब क्षमा करने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया है तथा अपील मेमो में विलम्ब वावत् बताया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी 10.8.98 को हुई, अपील 30.8.98 को प्रस्तुत हुई है इस अवधि के विलम्ब का कारण भी नहीं बताया है। इस पर अनावेदकगण के अभिभाषक ने

विलम्ब के कारण बताने एंव आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, गोहद ने अंतरिम आदेश दिनांक 12.9.2001 से अवसर प्रदान किया तथा म्याद के बिन्दु पर विचार हेतु आगामी तिथि नियत की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 69/1997-98 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.9.2000 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने म्याद के बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं दिया है एंव आवेदक व्दारा म्याद के बिन्दु पर की गई आपत्ति का भी निराकरण नहीं किया है उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष तत्सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी गुण-दोष पर निराकरण योग्य नहीं पाई जाती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 69/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.9.2000 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर